

जनपद- सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के० वी० विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित 16.8912 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षो/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत शॉन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/151920/2022 की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०४/109/2023/ एफ०सी०/48 दिनांक- 30.05.2024 द्वारा 30 शतों के अधीन प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अधिरोपित शर्त संख्या- 7 व 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण से माँग की गयी जाने वाली वांछित धनराशि का व्यय अनुमान पत्र निम्न प्रकार है :-

व्यय अनुमान पत्र

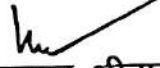
शर्त सं०	शर्त में अधिरोपित विवरण	इकाई	मात्रा	दर	वांछित धनराशि	अनुसूची दर की क्र०सं०
07	Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plant.					
	1-सोलर पम्प की स्थापना (3) अदद	अदद	03	545000/-	1635000. 00	सी०सी०एफ० सा०वा० के पत्र संख्या- पी 518/36-बी -8(कैम्पा)/ 2021-22 दिनांक- 04.03.2022 में अंकित धनराशि के आधार पर 10 प्रतिशत बुद्धि सहित।
	2-पम्प आपरेटर 312 दिन 3 श्रमिक 4 वर्ष तक) (312 x 3 x 4)	दिन	3744	230.00 /-	861120. 00	वर्तमान में प्रचलित अनुसूची दर के आधार पर
	3- पी०वी०सी० पाईप एवं पम्पिंग कार्य	मीटर	2500	63/-	157500. 00	सी०सी०एफ० कैम्पा लखनऊ के पत्र सं० 541/2-37-2(सीलिंग दर) दिनांक-17. 01.2024 के अनुसार
	4- आपरेटर हट टीन सेड सहित	अदद	03	100000/-	300000. 00	स्थानीय बाजार दर के आधार पर
	<u>योग-</u>				2953620. 00	

8	The entire area proposed for CA shall be fenced by the State Forest Department at the cost of User agency .(तारवाड़ फेंसिंग रेट)					
	1-आर0सी0सी0खम्भो का मूल्य प्रत्येक 3 मीटर (क्षेत्र की परिधि 5100 मीटर)	प्रति पिलर	1700	536/-	911200. 00	सी0सी0ए फ0कैम्पा लखनऊ के पत्र सं0 541/2-3 7-2 (सीलिंग दर) दिनांक- 17.01. 2024 के अनुसार
	2-काटेदार तार का मूल्य(200 रनिंग मी0प्रति हे0 धेड़वाड़ के आधार पर 5 लड़ मे 0.15 टन) अतः (5100 रनिंग मी0 धेरवाड़ हेतु काटेदार तार $5100 \times 0.00075 = 3.825$ टन	टन	3.825	112890/-	431804. 25	
	3-आर0सी0सी0 खम्भो की ग्राउटिंग (6.3. 1) सीमेन्द्र कन्क्रीट	प्रति पिलर	1700	252.62/-	429454. 00	
	4-खम्भो का स्थानीय ढुलान	प्रति पिलर	1700	4.33/-	7361. 00	
	5- तार की खिचाई 5100X 5 लड़ = 25500 र0मी0	प्र0र0मी	25500	1.12/-	28560.00	
	6-तारवाड़ फेन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष) 3 वर्ष तक (255 मी X 3)	प्र0र0मी	765	354.58/-	271253.70	
	<u>योग-</u>				<u>2079632.95</u> या <u>2079633 00</u>	

कुल योग शर्त संख्या- 07 व 08 का $(2953620 + 2079633) = 5033253 .00$
(मु0 पचास लाख तैतीस हजार दो सौ तिरपन मात्र)


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट-सोनभद्र


उप प्रमाणीय वनाधिकारी (म्योरपुर)
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट


(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 1474 / रेनुकूट / 15-276 दिनांक, रेनुकूट, अक्टूबर, 28, 2024
सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०,
220 के०वी० उपकेन्द्र रावर्टरागंज-सोनभद्र ।

विषय:- जनपद- सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी)
किरविल तक प्रस्तावित 132 के० वी० विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण में प्रभादि
16.8912 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमा
के संबंध में । (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/151920/2022)

संदर्भ:- 1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखन
का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/109/2023/ एफ०सी०/48 दिनांक- 30.05.2024
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ व
पत्रांक- 3559/11-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक-03.06.2024
3-इस कार्यालय का पत्रांक- 4723/रेनुकूट/15-276 दिनांक- 25.06.2024

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण
भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 30.05.2024 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन 16.8912 हे० वन भू
के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षो / पौधो के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । उव
सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अधिरोरित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हे
प्रभाग के संदर्भित पत्र दिनांक-25.06.2024 द्वारा आपसे अनुरोध किया गया । उक्त मॉग पत्र
उल्लिखित धनराशि को जमा करने हेतु आपके द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया । अपलो
करने के उपरान्त मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय द्वारा यह बता
गया कि क्षतिपूरक वनीकरण की वांछित धनराशि उनके कार्यालय के पत्रांक-751/11-सी, लखन
दिनांक- 13.09.2024 के अनुसार प्राक्कलन तैयार कराते हुए अपलोड किये जाये । अतः मुख्य व
संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में प्रभाग के संदर्भित पत्र दिनांक- 25.0
2024 द्वारा किये गये मॉग पत्र के बिन्दु संख्या-3 एवं 12 में अंकित धनराशि को संशोधित करते ह
मॉग पत्र निम्नानुसार प्रेषित है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक
30.05.2024 में अंकित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में तैयार कराते ह
निम्नानुसार पाँच प्रतियों में आवश्यक अभिलेखो सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण

विधिवत स्वीकृति जारी करने हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित किया जा सकें :-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/१०९/२०२३/एफ०सी०/४८ दिनांक- 30.05.2024 में अंकित शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना है उसका विवरण
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय कि प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 34.00 ha. Degraded Forest land in Cheri Forest Block. Renukoot Forest Division, Myourpur Range. District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. .	इस बिन्दु के क्रम में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत चेरी वन ब्लॉक में चयनित 34.00 हे० अवनत वन भूमि पर वनीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा किये जाने के उपरान्त प्रभाग द्वारा उसे प्राप्त करने के उपरान्त वन विभाग द्वारा स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा ।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the projet authority. The CA will be maintained for 10 years . The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के क्रम में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत चेरी वन ब्लॉक में चयनित 34.00 हे० अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाना है । वनीकरण कार्य करने हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र के अनुसार <u>रु० 83,49,800/- (मु० तेरासी लाख उन्चास हजार आठ सौ मात्र)</u> परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से <u>Uttar Pradesh Campa ,</u> में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय ।
4	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 16.8912 ha.	इस बिन्दु के क्रम में प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न भाग-1। (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा गया है) में हरियाली धनत्व 0.8 अंकित किया गया है जो अत्यन्त सधन वन की श्रेणी में

	Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5&3/2011-FC(Vol-I) dated orders dated 06.01.2022	आता है । भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.01.2022 में इको क्लास - III Tropical Dry Deciduous Forests (Very Dense Forest) के लिए एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 1357110 प्रति हे0 निर्धारित किया गया है । अतः परियोजना में प्रभावित 16.8912 हे0 आरक्षित वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि 16.8912 हे0 X 1357110 प्रति हे0 = रू0 22923216.43 या 2,29,23,217 (मु0 दो करोड़ उन्तीस लाख तेईस हजार दो सौ सत्रह मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय ।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायी जाय कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसे जमा किया जायेगा ।
6	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before issuance of Final Approval . The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय ।
7	Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plant.	इस बिन्दु के अनुपालन में संलग्न व्यय अनुमान पत्र के अनुसार रू0 29,53,620/- (मु0 उन्तीस लाख तिरपन हजार छः सौ बीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय ।
8	The entire area preposed for CA shall be fenced by the State Forest Department at the cost of User agency .	इस बिन्दु के अनुपालन में संलग्न व्यय अनुमान पत्र के अनुसार रू0 20,79,633/- (मु0 बीस लाख उन्चासी हजार छः सौ तैतिस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय ।

9	Width of Right of Way for the Transmission Line shall be limited to 27 meter .	इस बिन्दु के क्रम में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाय ।
10	The User Agency should fence the base of the tower by Chain Link Fencing to prevent the electrocution of Elephant/Wild Animals in forest area at their own cost. The concerned DFO	इस बिन्दु के क्रम में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाय ।
11	The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 132 KV D/C line will be 3 meter only. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed , the natural regeneration will be allowed to come up.	इस बिन्दु के क्रम में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाय ।
12	The User agency is consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the said scheme to the State Forest Department .	इस बिन्दु के क्रम में प्रभावित वन भूमि 16.8912 हे० जिस वन भूमि पर ट्रान्समिशन लाईन का निर्माण कार्य किया जाना है । निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ट्रान्समिशन लाईन के नीचे बौने प्रजाति का वनीकरण कार्य किया जाना होगा जिस हेतु 17.00 हे० वन भूमि पर वनीकरण कार्य करने हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र के अनुसार <u>रु० 46,56,300/-</u> (मु० छियालिस लाख छप्पन हजार तीन सौ मात्र) परिवेश पोर्टल से <u>उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय ।</u>
13	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.	इस बिन्दु के क्रम में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाय ।
14	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide Letter 7-25/2012-FC Dated 05.05.2014 & 19.11.2014	इस बिन्दु के क्रम में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाय ।
15	User Agency shall restrict the felling of trees to 819 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest	इस शर्त के क्रम में परियोजना में प्रभावित 819 पौधो/वृक्षो का गणना/छपान किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक ,मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के स्थायी आदेश संख्या- 1901 दिनांक- 20.11.2023 द्वारा निर्धारित सीलिंग दर के आधार पर अनुसार पथ वृक्षावली के छपान हेतु 7.97 प्रति पौध कोलतार का कीमत एवं सामग्री व श्रमांश सहित निर्धारित किया गया है । अतः निम्नानुसार निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें :- पातन हेतु प्रभावित गणना/छपान हेतु गणना/छपान हेतु

18	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
19	No labour camp shall be established on the forest land	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
20	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	इस बिन्दु के क्रम में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाय।
21	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन वन विभाग रेनुकूट वन प्रभाग के निर्देशानुसार किया जायेगा।
22	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
23	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सह टर्मिनस होगी।
24	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
25	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रश्नगत वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
26	The KML file of area propose for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before	इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित क्षेत्र की कोऑर्डिनेट्स, सीओएच हेतु प्रस्तावित क्षेत्र, को काम शुरू होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया

	commencement of works	जायेगा ।
27	The Violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC Guideline rules and Guidelines as applicable specifically MoEFCC Guidelines dated 15.05.2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO) Deputy Conservator of Forest (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van(Sanrakshshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made. to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.	इस बिन्दु के क्रम में इस आशय की वयनवद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि उक्त समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जाएगा और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी जो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा ।
28	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समय-समय पर निर्धारित की जायेगी जिसका अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण पर बाध्यकारी होगा ।
29	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से संबंधित जमा होने योग्य समस्त धनराशि (एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि, क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि व Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, में जमा कराते हुए उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाय ।
30	The compliance report report on e-portal(https://purivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में परियोजना से संबंधित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उससे संबंधित स्लिप की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जाय

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2 के कार्यालय झाप संख्या- 666/14-2-600(51)/1999 दिनांक- 19.07.1999, व उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्र संख्या- 1954/81-2-2020-600(51)/1999 लखनऊ दिनांक-08 दिसम्बर, 2020 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक- 1026/11-सी लखनऊ दिनांक- 17.10.2023 तथा मुख्य वन संरक्षक, भीरजापुर क्षेत्र, भीरजापुर के पत्रांक- 4898/गी०शे०/33 दिनांक- 14.06.2024 के अनुपालन में प्रश्नगत परियोजना लीनियर परियोजना होने के कारण निम्न प्रकार प्रीमियम एवं लीज रेंट जमा किया जाय :-

क्र०सं०	परियोजना में प्रभावित वन भूमि से आवधिकित ग्रामों का नाम	ग्राम में प्रभावित वन भूमि (हे०मे०)	कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्रांक- 08/स्टाम्प लिपिक-2022 दिनांक- 22.08.2023 द्वारा प्रभावी मूल्यांकन सूची के प्रारूप-4 में अंकित अकृषिक भूमि की न्यूनतम दर के आधार पर भूमि का मूल्य प्रति हे० लाख ₹० में	निर्धारित धनराशि (₹०मे०)
1	फिरविल	0.0864	23.00	198720. 00
2	देवरी	0.6048	18.00	1088640. 00
3	आरंगपानी	2.6460	18.00	4762800. 00
4	फाटपखना	1.9575	10.00	1957500. 00
5	नवाटोला	0.1856	12.00	222720. 00
6	बधमन्धवा	8.4112	10.00	8411200. 00
7	कटौधी	2.9997	16.00	4799520. 00
योग-		16.8912	प्रीमियम की धनराशि -	2,14,41,100. 00

प्रीमियम की धनराशि ₹० 2,14,44,100. 00 (गु० दो करोड़ चौदह लाख चौवालिस हजार एक सौ मात्र) का 10 प्रतिशत लीज रेंट की धनराशि वर्ष 2024-25 का ₹० 21,44,110/- (गु० एककीस लाख चौवालिस हजार एक सौ दस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के नाम से बना हो तथा भारतीय स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर देय हो उपलब्ध कराया जाय ।

अतः उपरोक्तानुसार उल्लिखित धनराशि निम्न विवरण के अनुसार जमा करने का कष्ट करे :-

शर्त संख्या	कैम्पा में जमा होने योग्य धनराशि (₹०मे०)	प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के नाम से बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से जमा होने योग्य धनराशि (₹०मे०)	उ०प्र० वन निगम के पक्ष में उक्त शर्त संख्या- 15 में अंकित बैंक खाता में जमा होने योग्य धनराशि (₹०मे०)
03	83,49,800. 00	-	-
04	2,29,23217. 00	-	-
07	29,53,620. 00	-	-
08	20,79,633. 00	-	-
12	46,56,300. 00	-	-
15	-	6527. 00	1,02,59,000. 00
प्रीमियम एवं लीज रेंट की धनराशि	-	21441100. 00 2144110. 00	-
योग-	4,09,62,570. 00	2,35,91,737. 00	1,02,59,000. 00

भवदीय

(डा० भानुचंद्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

संख्या- 1474 अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रतिलिपि: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ ।

2-प्रतिलिपि: मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।

(डा० मनिन्द्र सिंह)
प्रमाणित वन अधिकारी
रेनुकट वन प्रभाग, रेनुकट
राोनभद्र, उत्तर प्रदेश

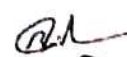
1	पौधों की निराई-गुड़ाई (दो बार) 13600X2=27200	प्रति पौध	27200	1 48	40256 00
2	बुआई नाली की निराई- गुड़ाई दो बार 13600X2=27200	प्रति पौध	27200	9 20	250240 00
3	सिंचाई दो बार 13600X2=27200	प्रति पौध	27200	1 26	34272 00
4	मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौध रोपण हेतु पौध उतारन पर व्यय 10 प्रतिशत (5 प्रति अतिरिक्त)	प्रति पौध	1500	12 81	19215 00
5	पौध डुलान 1 से 20 कि०मी०	प्रति पौध	1500	1 74	2610 00
6	पौध का स्थानीय डुलान	प्रति पौध	1428	0 45	642 60
7	पौध रोपण सिंचाई व थाला बनायी	प्रति पौध	1428	6 44	9196 32
8	गुंशारोपण सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (8 हे० पर एक)	दिन	936	237 00	221832 00
9	आवश्यकतानुसार लैण्टाना की झाड़ी कटाई कार्य (25 से 50 प्रतिशत घनत्व क्षेत्र)	हे०	25	3466 00	86650 00
10	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक 15 फरवरी से 31 मार्च तक (तीन श्रमिक)	दिवस	264	237.00	62568 00
11	अन्य आकस्मिक व्यय डीजल/फोटोग्राफी स्टाफ वर्दी	हे०	34	ल०स०	17318 08
	योग				744800.00

चतुर्थ चरण (द्वितीय अनुसंधान)					
क्र०स०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6	7
1	गड्डो पौध की निराई-गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य दो बार (13600X2=27200)	प्र०सै०	27200	90.00	24480 00
2	बोना नालियों की निराई-गुड़ाई दो बार मलचिंग सहित (13600X2=27200)	प्र०सै०	27200	330.00	89760.00
3	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी० चौड़ाई में घास काटना	प्र०हे०	34 00	851 00	28934.00
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (तीन श्रमिक)	प्र०दिवस	936	237.00	221832 00
5	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	34 00	172.30	5858.20
6	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र० किमी०	6	2412.00	14472 00
7	आवश्यकतानुसार लैण्टाना झाड़ी की सफाई 50% से कम घनत्व	प्र०हे०	25	2763 00	69075 00
8	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से जून तक (3 प्रहरी)	प्र०दिवस	195	237.00	46215 00
9	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	34.00	L S	35400.80
	योग				536027.00
	या-				536000.00

पंचम चरण (तृतीय अनुसंधान)					
क्र०स०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6	7
1	गड्डो पौध की निराई-गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य दो बार	प्र०सै०	27200	90.00	24480 00
2	बोना नालियों की निराई-गुड़ाई दो बार मलचिंग सहित	प्र०सै०	27200	330.00	89760 00
3	रोपावनी क्षेत्र में 1.00 मी० चौड़ाई में घास काटना	प्र०हे०	34.00	851.00	28934 00
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (तीन श्रमिक)	प्र०दिवस	936	237.00	221832 00
5	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	34.00	172.30	5858.20
6	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र० किमी०	3	2412.00	7236 00
7	आवश्यकतानुसार लैण्टाना झाड़ी की सफाई 50% से कम घनत्व	प्र०हे०	17 00	2763.00	46971 00
8	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०हे०	34 00	808.00	27472 00
9	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से जून तक (तीन श्रमिक)	प्र०दिवस	195	237.00	46215 00
10	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	34 00	L S	35250 00
	योग				534008.20
	या-				534000.00

षष्ठम चरण (चतुर्थ अनुसंधान)					
क्र०स०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6	7
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०सै०	34 00	808 00	27472 00
2	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से जून तक (तीन श्रमिक)	प्र०दिवस	195	237 00	46215 00
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (तीन श्रमिक)	प्र०दिवस	936	237 00	221832 00
	योग				295519.00
	या-				295500.00


 प्रकाश चंद्र
 प्रमुख निरीक्षक
 प्रजापति


 प्रभागीय प्रशासक
 प्रमुख निरीक्षक
 प्रजापति

		साप्तम चरण (पंचम अनुरक्षण)		
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	धनराशि
1	3	4	5	6
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०हे०	34.00	808.00
2	रोपित पौधों की आवश्यकतानुसार पुनर्गणना एवं छाटाई कार्य	प्र० हे०	34.00	1898.00
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (तीन श्रमिक)	प्र०दिवस	936	237.00
			योग	313836.00
			या-	313800.00

		अष्टम चरण (षष्ठम अनुरक्षण)		
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	धनराशि
1	3	4	5	6
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०हे०	34.00	808.00
2	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (तीन श्रमिक)	प्र०दिवस	936	237.00
			योग	249304.00
			या-	249300.00

		नवम चरण (साप्तम अनुरक्षण)		
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	धनराशि
1	3	4	5	6
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०हे०	34.00	808.00
2	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (तीन श्रमिक)	प्र०दिवस	936	237.00
			योग	249304.00
			या-	249300.00

		दशम चरण (अष्टम अनुरक्षण)		
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	धनराशि
1	3	4	5	6
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०हे०	34	808.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	34	L S
			योग	65972.00
			या-	66000.00

		एकादश चरण (नवम अनुरक्षण)		
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	धनराशि
1	3	4	5	6
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०हे०	34	808.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	34	L S
			योग	65972.00
			या-	66000.00

		द्वादश चरण (दसम अनुरक्षण)		
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	धनराशि
1	3	4	5	6
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०हे०	34	808.00
2	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	34	L S
			योग	65972.00
			या-	66000.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 रजिस्ट्रार वन प्रभाग
 रजिस्ट्रार वन प्रभाग
 सोनभद्र

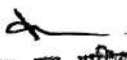
प्रभाग वन अधिकारी
 रजिस्ट्रार वन प्रभाग, रजिस्ट्रार
 सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 34 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण का वर्षवार सारांश

क्र०सं०	चरण	भौतिक (हे० में)	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि	10 गहंवाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजेंसी से वांछित धनराशि (कॉलम 3x4)
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	34	1999000.00	1	1999000.00
2	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)	34	1261000.00	1.1	1387100.00
3	तृतीय चरण (प्रथम अनुरक्षण कार्य)	34	744800.00	1.21	901208.00
4	चतुर्थ चरण (द्वितीय अनुरक्षण कार्य)	34	536000.00	1.331	713416.00
5	पंचम चरण (तृतीय अनुरक्षण कार्य)	34	534000.00	1.4641	781829.40
6	षष्ठम चरण (चतुर्थ अनुरक्षण कार्य)	34	295500.00	1.6105	475902.75
7	सप्तम चरण (पंचम अनुरक्षण कार्य)	34	313800.00	1.7716	555928.08
8	अष्टम चरण (षष्ठम अनुरक्षण कार्य)	34	249300.00	1.9488	485835.84
9	नवम चरण (सप्तम अनुरक्षण कार्य)	34	249300.00	2.1437	534424.41
10	दशम चरण (अष्टम अनुरक्षण कार्य)	34	66000.00	2.3581	155634.60
11	एकादशम् चरण (नवम अनुरक्षण कार्य)	34	66000.00	2.5939	171197.40
12	द्वादश चरण (दसम अनुरक्षण कार्य)	34	66000.00	2.8533	188317.80
	योग		6380700.00		8349794.28
	34 हे० क्षेत्र हेतु कुल आवश्यक धनराशि योग-				8349800.00

(मु० तिरासी लाख उन्चास हजार आठ सौ मात्र)


प्रभाषीय दम्तीधिकारी
हेनरकुल के प्रभाग हेनरकुल
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश


क्षेत्रीय दम्तीधिकारी
सोनभद्र
हेनरकुल एवं प्रभाग हेनरकुल
सोनभद्र

पठारी क्षेत्रों हेतु व्यय अनुमान पत्र
प्रथम चरण

(अग्रिम मृदा कार्य)
सुरक्षा खाई की लम्बाई-2550 मी०
पौधों की सं० - 27200

क्षेत्रफल 17 हे०

गड्ढा की सराया 6800

बोना नाली की सं० 6800

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	17	59.78	1016.26
2	क्षेत्र की सफाई (लेण्टानायुक्त, सफाई 50 प्रतिशत)	हे०	17	3466.00	58922.00
3	निशानदेही				
	क- गड्ढे	प्रति गड्ढा	6800	0.40	2720.00
	ख- बोना नाली	प्रति नाली	6800	1.11	7548.00
4	अग्रिम मृदा कार्य				
	क- गड्ढा का खुदान (0.45X0.45X0.45 मी०)	प्रति गड्ढा	6800	12.18	82824.00
	ख- बोना नाली का खुदान (3.00X0.60X0.45 मी०)	प्रति नाली	6800	61.39	417452.00
5	निरीक्षण पथ का निर्माण				
	क- 3.00 मीटर चौड़ा (100 मी० प्रति हे०)	प्रति मी०	1700	17.94	30498.00
6	सम्बर्धन कार्य				
	क- कस्छई सम्बर्धन (25 से 40 प्रतिशत घनत्व)	प्रति हे०	17	656.11	11153.87
7	कर्मचारियों को दवाई, पानी की सुविधा	प्रति हे०	17	110.25	1874.25
8	सुरक्षा खाई का खुदान साइज (1.20X0.90X1.00) मी०	प्रति मी०	2550	94.27	240388.50
9	पौध उगान पर व्यय 5 प्रतिशत अतिरिक्त	प्रति पौध	28560	4.48	127948.80
10	बुआई नाली पर बीज बुआन हेतु बीज का मूल्य	हे०	17	485.09	8246.53
11	अन्य व्यय (औजारों का क्रय व मरम्मत, स्टेशनरी आदि पर व्यय)				8907.79
	योग-				999500.00

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	4	3	5	6
1	गड्ढा का गहराई कार्य	प्रति गड्ढा	6800	0.90	6120.00
2	नालियों की दरेसी	प्रति नाली	6800	5.72	38896.00
3	सुरक्षा खाई की दरेसी कार्य	मी०	2550	1.65	4207.50
4	सुरक्षा खाई में बीज बुआन	मी०	2550	1.40	3570.00
5	सुरक्षा खाई हेतु बीज क्रय/एकत्रीकरण	र०मी०	2550	2.4	6120.00
6	बोना नाली में बीज बुआन	बोना नाली	6800	1.90	12920.00
7	बोना नाली हेतु बीज क्रय/एकत्रीकरण	बोना नाली	6800	5.90	40120.00
8	रासायनिक खाद का छिड़काव मूल्य सहित	ल०सं०	17	485.00	8245.00
9	पौध उगान पर व्यय 5 प्रतिशत अतिरिक्त	प्रति पौध	28560	1.75	49980.00
10	पौध दुलान औसत 30 कि०मी० दूरी- छोटी थैली	प्रति पौध	28560	1.11	31701.60
11	पौधों की स्थानीय दुलान सहित रोपण				
	(क) छोटी थैली	प्रति पौध	27200	0.39	10608.00
12	गड्ढों में पौध रोपण, स्थानीय दुलान में उर्वरक आदि की मिलवाई एवं 1.20 मी० व्यास का थावला बनवाई ।	प्रति पौध	27200	5.5	149600.00
14	निराई-गुड़ाई (दो बार)शीत कालीन सहित बोना नाली				
	क-गड्ढा पौध 6800X2= 13600	प्रति पौध	13600	1.48	20128.00
	ख- बोना नाली 6800X2= 13600	प्रति पौध	13600	9.20	125120.00
15	रासायनिक खाद का छिड़काव मूल्य सहित	प्रति पौध	6800	0.34	2312.00
16	रोपावनी क्षेत्र में रोपित पौधों की लाईनों में 1 मी० चौड़ी धारा काई	हे०	17	975.12	16577.04
17	वृक्षारोपण बोर्ड की बनवाई (10 हे० पर एक)	प्रति बोर्ड	1	4546	4546.00
18	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय जुलाई से मार्च (तीन श्रमिक)	दिन	472	237	111864.00
19	पौधशाला में अनुरक्षण पर व्यय	प्रति पौध	27200	0.71	19312.00
20	अन्य व्यय (औजारों का क्रय व मरम्मत स्टेशनरी आदि पर व्यय)	ल०सं०			19992.92
	योग				681940.06

तृतीय चरण (प्रथम अनुरक्षण)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	2	4	3	5	6
1	पौधों की निराई-गुड़ाई (दो बार) 6800X2=13600	प्रति पौध	13600	1.48	20128.00
2	बुआई नाली की निराई-गुड़ाई दो बार 6800X2=13600	प्रति पौध	13600	9.20	125120.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी

रेनुकट वन प्रभाग, रेनुकट

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकट वन प्रभाग, रेनुकट
राजभद्र, उत्तर प्रदेश

3	सिचाई दो बार 6800X2=13600	प्रति पौध	13600	1 26	17136 00
4	मृत पौधों के स्थान पर पुनः पौध रोपण हेतु पौध तमान पर व्यय 10 प्रतिशत (5 प्रति अतिरिक्त)	प्रति पौध	750	12 81	9607 50
5	पौध दुलान 1 से 20 कि०मी०	प्रति पौध	750	1 74	1305 00
6	पौध का स्थानीय दुलान	प्रति पौध	714	0 45	321 30
7	पौध रोपण, सिचाई व थाला बनायी	प्रति पौध	714	6 44	4598 16
8	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (8 हे० पर एक)	दिन	624	237 00	147888 00
9	आवश्यकतानुसार लैण्डाना की झाड़ी कटाई कार्य (25 से 50 प्रतिशत घनत्व क्षेत्र)	हे०	10	3466 00	34660 00
10	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक 15 फरवरी से 31 मार्च तक (02 श्रमिक)	दिवस	176	237 00	41712 00
11	अन्य आकरिमक व्यय डीजल/फोटोग्राफी स्टाफ वर्दी	हे०	17	ल० स०	9524 04
	योग				412000.00

क्र०सं०	कार्य का विवरण	चतुर्थ चरण (द्वितीय अनुसंधान)	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6	7	
1	गडदो पौध की निराई-गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य दो बार (6800X2=13600)	प्र०सै०	13600	90 00	12240 00	
2	बोना नालियों की निराई-गुड़ाई दो बार मलचिंग सहित (6800X2=13600)	प्र०सै०	13600	330 00	44880 00	
3	रोपावनी क्षेत्र में 100 मी० चौड़ाई में घास काटना	प्र०हे०	17 00	851 00	14467 00	
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (दो श्रमिक)	प्र०दिवस	624	237 00	147888 00	
5	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	17 00	172 30	2929 10	
6	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र० किमी०	3	2412 00	7236 00	
7	आवश्यकतानुसार लैण्डाना झाड़ी की सफाई 50% से कम घनत्व	प्र०हे०	12 50	2763 00	34537 50	
8	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से जून तक (दो श्रमिक)	प्र०दिवस	130	237 00	30810 00	
9	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	17 00	L S	3012 40	
	योग					298000.00
	या-					298000.00

क्र०सं०	कार्य का विवरण	पंचम चरण (तृतीय अनुसंधान)	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6	7	
1	गडदो पौध की निराई-गुड़ाई तथा स्पेसिंग कार्य दो बार	प्र०सै०	13600	90 00	12240 00	
2	बोना नालियों की निराई-गुड़ाई दो बार मलचिंग सहित	प्र०सै०	13600	330 00	44880 00	
3	रोपावनी क्षेत्र में 100 मी० चौड़ाई में घास काटना	प्र०हे०	17 00	851 00	14467 00	
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (दो श्रमिक)	प्र०दिवस	624	237 00	147888 00	
5	श्रमिकों हेतु पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	प्र०हे०	17 00	172 30	2929 10	
6	निरीक्षण मार्ग की मरम्मत	प्र० किमी०	3	2412 00	7236 00	
7	आवश्यकतानुसार लैण्डाना झाड़ी की सफाई 50% से कम घनत्व	प्र०हे०	8 50	2763 00	23485 50	
8	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०हे०	17 00	808 00	13736 00	
9	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से जून तक (दो श्रमिक)	प्र०दिवस	130	237 00	30810 00	
10	प्रशासनिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र०हे०	17 00	L S	2328 40	
	योग					300000.00
	या-					300000.00

क्र०सं०	कार्य का विवरण	षष्ठम चरण (चतुर्थ अनुसंधान)	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6	7	
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०हे०	17 00	808 00	13736 00	
2	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से जून तक (दो श्रमिक)	प्र०दिवस	130	237 00	30810 00	
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (दो श्रमिक)	प्र०दिवस	624	237 00	147888 00	
	योग					192434.00
	या-					192400.00

क्र०सं०	कार्य का विवरण	सप्तम चरण (पंचम अनुसंधान)	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6	7	
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र०हे०	17 00	808 00	13736 00	

५
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 राज्य वन विभाग
 नुक्कट वन प्रभाग, नुक्कट
 सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
 नुक्कट वन प्रभाग, नुक्कट
 सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

2	रोगित पौधों की आवश्यकतानुसार एन.पी.के. कार्य	प्र० हे०	17 00	1898 00	32266 00
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (दो श्रमिक)	प्र० दिवस	624	237 00	147888 00
				योग	193890 00
				या-	193900 00

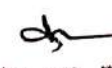
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	3	4	5	6	7
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र० हे०	17 00	808 00	13736 00
2	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (दो श्रमिक)	प्र० दिवस	624	237 00	147888 00
				योग	161624 00
				या-	161600 00

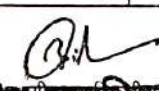
क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	3	4	5	6	7
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र० हे०	17 00	808 00	13736 00
2	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक अप्रैल से मार्च तक (दो श्रमिक)	प्र० दिवस	624	237 00	147888 00
				योग	161624 00
				या-	161600 00

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	3	4	5	6	7
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र० हे०	17	808 00	13736 00
2	प्रसारणिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र० हे०	17	L S	19264 00
				योग	33000 00
				या-	33000 00

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	3	4	5	6	7
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र० हे०	17	808 00	13736 00
2	प्रसारणिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र० हे०	17	L S	19264 00
				योग	33000 00
				या-	33000 00

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
1	3	4	5	6	7
1	प्रजातिवार उचाईवार गोलाईवार पौधों की गणना	प्र० हे०	17	808 00	13736 00
2	प्रसारणिक व्यय (अभिलेखों की छायाप्रति कराई एम०आई०एस० फीडिंग कार्य, फोटोग्राफी, भ्रमण कार्य हेतु डीजल क्रय आदि)	प्र० हे०	17	L S	19264 00
				योग	33000 00
				या-	33000 00


 प्रभागीय वन अधिकारी
 रैनूकट वन प्रभाग, रैनूकट
 सांभर


 प्रभागीय वन अधिकारी
 रैनूकट वन प्रभाग, रैनूकट
 सांभर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 17 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण का वर्षवार सारांश

क्र०सं०	चरण	भौतिक (हे० में)	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि	10 महेगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजेंसी से वांछित धनराशि (कॉलम 3X4)
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	17	999500.00	1	999500.00
2	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)	17	681940.06	1.1	750134.07
3	तृतीय चरण (प्रथम अनुरक्षण कार्य)	17	412000.00	1.21	498520.00
4	चतुर्थ चरण (द्वितीय अनुरक्षण कार्य)	17	298000.00	1.331	396638.00
5	पंचम चरण (तृतीय अनुरक्षण कार्य)	17	300000.00	1.4641	439230.00
6	षष्ठम चरण (चतुर्थ अनुरक्षण कार्य)	17	192400.00	1.6105	309860.20
7	सप्तम चरण (पंचम अनुरक्षण कार्य)	17	193900.00	1.7716	343513.24
8	अष्टम चरण (षष्ठम अनुरक्षण कार्य)	17	161600.00	1.9488	314926.08
9	नवम चरण (सप्तम अनुरक्षण कार्य)	17	161600.00	2.1437	346421.92
10	दशम चरण (अष्टम अनुरक्षण कार्य)	17	33000.00	2.3581	77817.30
11	एकादशम चरण (नवम अनुरक्षण कार्य)	17	33000.00	2.5939	85598.70
12	द्वादश चरण (दसम अनुरक्षण कार्य)	17	33000.00	2.8533	94158.90
	योग		3499940.06		4656318.41
	17 हे० क्षेत्र हेतु कुल आवश्यक धनराशि योग-				4656300.00

(मु० छियालिस लाख छप्पन हजार तीन सौ मात्र)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मोरेपुर जं.
रेनुकुट वन प्रभाग, रेनुकुट
सोनभद्र

प्रभागीय वन अधिकारी
रेनुकुट वन प्रभाग, रेनुकुट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश